

सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै - 600 038
(Website: www.icf.indianrailways.gov.in)

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय,

सं./No.PB/RR/39/App.

दिनांक 27/06/2016

अधिसूचना संख्या App/01/2016

शिक्षु अधिनियम-1961 के अंतर्गत वर्ष 2016 के लिए निम्नलिखित ट्रेड हेतु प्रशिक्षु के रूप में विनियोजन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाता है। नीचे दी गई आवश्यकता अनंतिम है तथा इसमें परिवर्तन हो सकता है।

ट्रेड	नया (फ़ेशर)					पूर्व-आईटीआई				
	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
फिटर	31	17	9	5	62	66	35	19	10	130
मेकनिस्ट	8	4	3	1	16	8	4	3	1	16
वेल्डर	36	20	10	6	72	21	11	7	3	42
कारपेंटर	8	4	3	1	16	5	3	1	1	10
पेइंटर	8	4	3	1	16	-	-	-	-	-
एमएमटीएम	-	-	-	-	-	3	1	1	0	5
एमएमवी	-	-	-	-	-	5	3	1	1	10
इलेक्ट्रिशियन	16	9	5	2	32	25	14	7	4	50
कुल	107	58	33	16	214	133	71	39	20	263

चिकित्सा प्रशिक्षु (इनके लिए दो बैचों में अर्थात् अक्टूबर 2016 एवं अप्रैल 2017 में प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा)										
एमएलटी-रेडियोलॉजी	2	1	0	1	4	-	-	-	-	-
एमएलटी-पैथोलॉजी	2	1	1	0	4	-	-	-	-	-
पीएसएस	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
कुल	4	2	1	1	8	1	1	-	-	2
प्रयुक्त संक्षेपाक्षर: अ.जा.-अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.- अनुसूचित जन जाति, अ.पि.व. - अन्य पिछड़ा वर्ग, अना.- अनारक्षित, एमएमवी - मेकेनिक (मोटर वेहिकल), एमएमटीएम - मेकेनिक मशीन टूल मेन्टेनेन्स, एमएलटी - मेडिकल लेबरैटरी तकनीशियन, पीएसएस - प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एसीस्टेंट										
शिक्षु अधिनियम - 1961 के अनुसार उपर्युक्त ट्रेड में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 3% रिक्तियाँ आरक्षित हैं।										

2.अर्हता शर्तें:

2.1 आयु सीमा: दिनांक 01/10/2016 को आयु निम्नानुसार होनी चाहिए:

- 1.नया वेल्डर, कारपेंटर एवं पेइंटर हेतु 15-20 वर्ष होना चाहिए।
- 2.नया फिटर एवं मशीनिस्ट हेतु 15-22 वर्ष होना चाहिए।
- 3.पूर्व आईटीआई अभ्यर्थियों के मामले में 15-24 वर्ष होना चाहिए।
- 4.मेडिकल तथा पीएसएस प्रशिक्षुओं के मामले में 15-24 वर्ष होना चाहिए।

अ.पि.व. अभ्यर्थियों हेतु 3 वर्ष, अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों हेतु 5 वर्ष तथा शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों (पीडब्ल्यूडी) हेतु आयु में 10 वर्ष की अधिकतम छूट होगी।

2.2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ एवं प्रशिक्षणावधि:

पूर्व - आईटीआई	योग्यताएँ	प्रशिक्षणावधि
फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मेकेनिस्ट एवं एमएमवी	कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए (जिसमें 50% अंक होना चाहिए) तथा निर्दिष्ट ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टीफिकेट भी होना चाहिए जो नेशनल कॉउंसिल फॉर वॉकेशनल ट्रेनिंग द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए।	1 वर्ष
कारपेंटर एवं वेल्डर	कक्षा VIII उत्तीर्ण होना चाहिए तथा निर्दिष्ट ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टीफिकेट भी होना चाहिए जो नेशनल कॉउंसिल फॉर वॉकेशनल ट्रेनिंग द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए।	कारपेंटर - 2 वर्ष एवं वेल्डर - 1 वर्ष
मेकेनिक मशीन टूल मेन्टेनेन्स	विज्ञान तथा गणित विषयों अथवा इसके समकक्ष सहित कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए (जिसमें न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए)	2 वर्ष
प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एसीस्टेंट	कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसीस्टेंट के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टीफिकेट भी होना चाहिए जो नेशनल कॉउंसिल फॉर वॉकेशनल ट्रेनिंग द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए।	1 वर्ष
नया	योग्यताएँ	प्रशिक्षणावधि
एमएलटी (रेडियोलॉजी एवं	भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान सहित 10+2 सिस्टम	6 महीना (जिसमें 1 सप्ताह

पैथोलॉजी)	के अंतर्गत कक्षा 12 ^{वाँ} की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।	का बेसिक प्रशिक्षण भी शामिल है।)
फिटर एवं इलेक्ट्रिशियन	कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए (जिसमें कुल योग का न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए) अथवा इसके समकक्ष।	2 वर्ष
मशीनिस्ट	कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए (जिसमें कुल योग का न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा।	3 वर्ष
वैल्डर	कक्षा VIII उत्तीर्ण होना चाहिए। *	2 वर्ष
कारपेंटर एवं पेइंटर	कक्षा VIII उत्तीर्ण होना चाहिए। *	3 वर्ष

* कृपया पैरा 4.1 देखें ।

टिप्पणी:

1. चयन होने के बाद ट्रेड में परिवर्तन संबंधी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व-आईटीआई कोटा के अंतर्गत उन्हें उसी ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें उन्हें आईटीआई प्रमाण-पत्र दिया गया है।
2. प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों को छोड़कर किसी अन्य कारणों से प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने संबंधी अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पहले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु करार का निष्पादन करना होगा।
3. वैसे अभ्यर्थी जो जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं वे प्रशिक्षण का पूरा लागत लौटाने के लिए भागीदार होगा, साथ ही साथ केन्द्रीय प्रशिक्षु सलाहकार द्वारा निर्धारितानुसार भुगतान किए गए छात्रवृत्ति की राशि भी लौटाना होगा।

2.3 अधिनियम प्रशिक्षु के विनियोजन का स्रोत (मुख्य परिपत्र सं.8 के अनुसार):-

1. नजदीकी रोजगार एक्सचेंज
2. अ.जा./अ.ज.जा. संगठन
3. वर्तमान आईटीआई तथा
4. रेलवे कर्मचारियों के बच्चों

वैसे अभ्यर्थी जो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आनेवाले स्थानीय रोजगार एक्सचेंज में निबंधित हों, आवेदन हेतु अर्ह है। हालांकि, रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्थानीय रोजगार एक्सचेंज में निबंधित होना जरूरी नहीं होगा तथा आवेदन एवं लिफाफे में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि अभ्यर्थी रेलवे कर्मचारी के बच्चे हैं। प्रमाण के रूप में उन्हें रेलवे कर्मचारी का सेवा प्रमाण-पत्र की

प्रति/घोषणा पत्र संलग्न करना चाहिए, जो संबंधित यूनिट के नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए।

2.4 छात्रवृत्ति की दर:-

नया	1 ^{ली} वर्ष के दौरान - रू. 5700/- प्र.मा. (एमएलटी प्रशिक्षणार्थी सहित) 2 ^{री} वर्ष के दौरान - रू. 6500/- प्र.मा. 3 ^{री} वर्ष के दौरान - रू. 7350/- प्र.मा.
पूर्व-आईटीआई अभ्यर्थी	आईटीआई में प्रशिक्षणावधि को छात्रवृत्ति भुगतान करने की दर निर्धारण करने की उद्देश्य हेतु गणना में ली जाएगी जो उपर्युक्त के समान ही होगा।

3. आवेदन कैसे करें:-

3.1 आवेदन:

1. निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करनी चाहिए, आवेदन-पत्र www.icf.indianrailways.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. आवेदन-पत्र में दिए गए स्थान पर एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना चाहिए।
3. प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रू.100/-का एक पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो सहायक कार्मिक अधिकारी/सडिका के नामे चेन्नै में भुगतान किए जानेवाला हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। अ.जा./अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूडी/महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। (आवश्यक प्रमाण संलग्न करना चाहिए)
4. मोटे अक्षरों में हस्ताक्षर किए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

3.2 संलग्नक:

1. आवेदन-पत्र के साथ मूल प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना चाहिए।
2. अधिसूचना निर्गत करने की तारीख को संबंधित पाठ्यक्रम में उतीर्ण प्रमाण-पत्र की प्रति (जैसे कक्षा X की अंक सूची, आईटीआई/एनटीसी के मामले में एनसीवीटी द्वारा निर्गत एनटीसी प्रमाण-पत्र, एमएलटी के मामले में कक्षा XII की अंक सूची) संलग्न करना चाहिए। सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना पर्याप्त नहीं होगा।
3. कक्षा X/XII का अंक-पत्र तथा आईटीआई का अंक-पत्र(पूर्व-आईटीआई के लिए)।
4. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अंतर्गत आनेवाले अभ्यर्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना चाहिए।
5. अशक्त (विकलांग) व्यक्तियों के लिए। उन्हें सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत अशक्त (विकलांग) प्रमाण-पत्र संलग्न करना/करनी चाहिए।
6. रोजगार निबंधन कार्ड की प्रति (पैरा 2.3 के अनुसार जहाँ लागू हो) संलग्न करना चाहिए।

3.3 आवेदन प्रस्तुत करना: भरा हुआ आवेदन-पत्र लिफाफे में भेजें, जिसमें लिफाफे पर “प्रशिक्षुता हेतु आवेदन-2016” लिखा हुआ होना चाहिए तथा इसे सील किया गया डॉप बॉक्स में डाल देना चाहिए अथवा साधारण डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेज दें:

सहायक कार्मिक अधिकारी/सा.,

सवारी डिब्बा कारखाना,

चेन्नै - 600 038

3.4 अंतिम तिथि: आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27/07/2016 (बुधवार) 17.00 बजे है। डाक में विलंब के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। देरी से प्राप्त किए गए आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

3.5 आवेदन प्रपत्र: इस प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र को छोड़कर अन्य किसी प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधूरे तथा अस्पष्ट आवेदन-पत्र तथा जो अधिसूचना में दिए गए शर्तों को पूरा नहीं करते हों, को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

3.5.1 आवश्यक संलग्नकों के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

4. चयन करने का तरीका:

4.1 विचार में लेने का तरीका: समान वैसेज देते हुए कक्षा X (नया हेतु) तथा कक्षा X एवं आईटीआई (पूर्व-आईटीआई अभ्यर्थियों हेतु) में प्राप्त अंकों के क्रम में अर्ह आवेदकों को बुलाया जाएगा। कक्षा X में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ही कक्षा VIII को विचार में लिया जाएगा।

4.2 अंक समान होने की स्थिति में विचार में लेना: दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने के मामले में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। जन्म तिथि भी समान होने के मामले में वैसे अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा जिन्होंने कक्षा X पहले उत्तीर्ण की हो।

4.3 शारीरिक फिटनेस का स्टैन्डर्ड: शिक्षु अधिनियम-1961 के अंतर्गत लागू शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण हेतु भर्ती होने के पहले शिक्षु अधिनियम-1961 में समाविष्टानुसार निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

4.4 उच्च योग्यता: इंजीनियरींग डिग्री/डिप्लोमा जैसे उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अर्ह नहीं हैं।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र: प्रमाण-पत्र के सत्यापन के दौरान अर्हक परीक्षा (कक्षा XII/X/VIII/आईटीआई) पूरी/उत्तीर्ण करने संबंधी मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र अवश्य ही प्रस्तुत करना चाहिए।

4.6 प्रशिक्षण प्रारम्भ होना: 1^{ली} अक्टूबर 2016 को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रारम्भ होगी। (1^{ली} अप्रैल 2017 को चिकित्सा शिक्षु का द्वितीय बैच प्रारम्भ होगी।)

5.अन्य शर्तें:

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि चयन तथा प्रशिक्षण हेतु शिक्षु अधिनियम-1961 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षु को रोजगार देने की कोई गारंटी नहीं होगी।
2. चयनित अभ्यर्थियों को इस प्रशासन द्वारा समय-समय पर लागू किए जानेवाले नियम व विनियम का पालन करना होगा।
3. यदि, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए कोई भी घोषणा असत्य पाया जाता है तो प्रशिक्षणावधि के किसी भी चरण में उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा/उनका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

यदि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के संदर्भ एवं विवरण में
अंतर है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।


सहायक कार्मिक अधिकारी/सा.

INTEGRAL COACH FACTORY, Chennai-600038

(Website: www.icf.indianrailways.gov.in)

Office of the
Chief Personnel Officer.

Dated: 27.06.2016

No. PB/RR/39/App

NOTIFICATION NO. APP/01/2016

Applications are invited, in the prescribed proforma, from eligible candidates for engagement as Apprentice under the Apprentices Act, 1961 in the under mentioned designated trades for the year 2016. The requirement given below is tentative and subject to change:

Trade	Fresher					Ex-ITI				
	UR	OBC	SC	ST	Total	UR	OBC	SC	ST	Total
Fitter	31	17	9	5	62	66	35	19	10	130
Machinist	8	4	3	1	16	8	4	3	1	16
Welder	36	20	10	6	72	21	11	7	3	42
Carpenter	8	4	3	1	16	5	3	1	1	10
Painter	8	4	3	1	16	-	-	-	-	-
MMTM	-	-	-	-	-	3	1	1	0	5
MMV	-	-	-	-	-	5	3	1	1	10
Electrician	16	9	5	2	32	25	14	7	4	50
Total	107	58	33	16	214	133	71	39	20	263

MEDICAL APPRENTICES (Will be trained in two batches commencing in October 2016 & April 2017.)										
MLT - Radiology	2	1	0	1	4	-	-	-	-	-
MLT - Pathology	2	1	1	0	4	-	-	-	-	-
PASAA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Total	4	2	1	1	8	1	1	-	-	2
Abbreviations used : SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Caste, UR - Unreserved, MMV - Mechanic Motor Vehicle, MMTM - Mechanic Machine Tool Maintenance, MLT - Medical Laboratory Technician, PASAA - Programming and System Administration Assistant										
3% of the vacancies are reserved for physically handicapped candidates in the trades identified for them as per the Apprentices Act, 1961.										

2. ELIGIBILITY CONDITIONS:

2.1 Age Limit: The age as on **01.10.2016** should be

- 15-20 years for Freshers Welder, Carpenter & Painter,
- 15-22 years for Freshers Fitter & Machinist and
- 15-24 years in the case of Ex-ITI candidates
- 15-24 years in the case of Medical and PASAA Apprentices.

The upper age limit is relaxable by 3 years for OBC candidates, 5 years for SC/ST candidates and 10 years for Persons with Disabilities (PWD) candidates.

2.2 Minimum Educational Qualification & Training Period

Ex-ITI	Qualification	Period of Training
Fitter, Electrician, Machinist & MMV	Should have passed standard X (with a minimum of 50% marks) and also possess National Trade Certificate in the notified trade issued by the National Council for Vocational Training.	1 year
Carpenter & Welder	Should have passed standard VIII and also possess National Trade certificate in the notified trade issued by the National Council for Vocational Training.	Carpenter - 2 years & Welder - 1 year
Mechanic Machine Tool Maintenance	Should have passed Standard X, (with a minimum of 50% marks) with science and mathematics as subjects or its equivalent	2 years
Programming and System Admn. Asst.	Should have passed standard X and also possess National Trade certificate in the trade of Computer Operator and Programming Asst. issued by the National Council for Vocational Training.	1 year
Freshers	Qualification	Period of Training
MLT(Radiology & Pathology)	Should have passed 12 th Class examination under 10 + 2 system with Physics, Chemistry & Biology	6 months (Including 1 week basic training)
Fitter & Electrician	Should have passed Standard X (with minimum 50% aggregate marks) or an equivalent examination.	2 years
Machinist	Should have passed Standard X (with minimum 50% aggregate marks) or an equivalent examination.	3 years
Welder	Should have passed Standard VIII. *	2 years
Carpenter & Painter	Should have passed Standard VIII. *	3 years

* please refer para 4.1

Note:

- (i) Request for change of trade after selection will not be entertained. In respect of Ex-ITI quota, they will be trained in the trade in which they are in possession of ITI certificate.
- (ii) Candidates selected for training will not be allowed to withdraw from training except for reasons, which are beyond their control. Before commencement of the training, the candidates have to execute a contract of Apprenticeship.
- (iii) Those who willfully absent themselves are liable to refund the whole cost of their training as well as the amount paid as stipend as determined by the Central Apprenticeship Adviser.

2.3 Sources of engagement of Act Apprentices (As Per Master Circular No.8)

1. Nearest Employment Exchanges.
2. SC/ST Organisations.
3. ITIs wherever existing and
4. Wards of Railway employees.

The applicants who have **registered with a local employment exchange** falling in the State of Tamilnadu alone are eligible to apply. However for **wards of Railway employees** such registration with local employment exchange will not be required and there should be clear indication in application & duly superscribed on the envelope as "ward of Railway employee". As a proof, candidate must enclose 'copy of **SERVICE CERTIFICATE** / **'DECLARATION** from the Railway Employee' which should be attested by the Gazetted Officer of the concerned unit.

2.4 Rate of stipend:

Freshers	During the 1st year - Rs.5700/- pm. (incl. MLT trainees) During the 2nd year - Rs.6500/- pm. During the 3rd year - Rs.7350/- pm.
Ex-ITI candidates	The period of training undergone in the ITI shall be taken into account for the purpose of determining the rate of stipend payable, which will be the same, as above.

3. HOW TO APPLY

3.1 Application:

- (i) Applications must be submitted only in the prescribed format, which may be downloaded from the website **www.icf.indianrailways.gov.in**. Application format can also be obtained from the ICF Welfare Centre/ Shell.
- (ii) One passport size photo should be pasted in the application in the space provided.
- (iii) A postal order or Demand Draft for a sum of Rs 100/- to be drawn in favour of **Assistant Personnel Officer/ICF payable at Chennai** to be enclosed with application as processing fee. No application fee for SC/ST/PWD/Women candidates. (Necessary proof needs to be attached.)
- (iv) Signatures, wherever required, if in CAPITAL letters will disqualify the candidature.

3.2 Enclosures:

- (i) ORIGINAL CERTIFICATES should NOT be enclosed with the application.
- (ii) Necessary copy of certificate confirming pass in the course as on the date of the notification (Ex. Std X mark list, NTC Certificate issued by NCVT in the case of

ITI/NTC, Std XII mark list in the case of MLT) to be enclosed. Mere completion of a course is not sufficient.

- (iii) MARK SHEET of Std X/ Std XII and MARK SHEET of ITI (for Ex-ITI)
- (iv) Candidates belonging to SC/ST/OBC communities should enclose a community certificate in the format prescribed by the Central Government.
- (v) *Persons with Disabilities:* He/ She should enclose a Disability Certificate issued by the competent Medical Board.
- (vi) Copy of Employment Registration Card to be enclosed (as applicable as per Para 2.3.

3.3 Submission of Application: The filled in application may be sent in a cover superscribed as "Application for Apprenticeship - 2016" and dropped in a sealed **drop box** (or) sent **by ordinary post** to
The Assistant Personnel Officer/G,
Integral Coach Factory,
Chennai - 600 038.

3.4 Last Date: The last date of receipt of the applications is **27/07/2016 (Wednesday) @ 17.00 hrs.** This Administration is not responsible for any postal delay. Belated applications will not be entertained under any circumstances.

3.5 Format of Application: Applications submitted in any format, other than the one prescribed by this Administration will not be entertained. Incomplete and unclear applications NOT in conformity with any of the conditions of this notification will be summarily rejected.

3.5.1. Applications without requisite enclosures will be summarily rejected.

4. MODE OF SELECTION:

4.1 Mode of consideration: The eligible applicants will be called in order of marks obtained in Std X (for Freshers) and in order of marks obtained in Std X and ITI (for Ex-ITI candidates) giving equal weightage. Std VIII will be considered only if sufficient candidates in Std X are not available.

4.2 Consideration when marks are equal : In case of two candidates having the same marks, the candidate having older age shall be preferred. In case the date of birth are also same, then the candidate who passed Std.X exam earlier shall be considered first.

4.3 Standard of Physical Fitness: The candidate should be physically fit as per the conditions applicable under the Apprentices Act, 1961. Selected candidates should

produce a Medical Certificate in the prescribed form as laid down in the Apprentices Act, 1961, before admission for training as Apprentices.

4.4 Higher Qualification : Candidates with higher qualifications viz. Engineering Degree / Diploma are not eligible to apply.

4.5 Transfer Certificate : Original Transfer Certificate for completion of qualifying examination (Std. XII/ X/ VIII/ ITI) must be produced during verification of certificates.

4.6 Commencement of Training : The apprenticeship training will commence on the 1st of October 2016. (1st of April 2017 for the second batch of medical apprentices)

5. OTHER CONDITIONS:

- (i) It should be noted that the selection and training are strictly in compliance with the provisions of Apprentice Act, 1961 and **NO EMPLOYMENT IS GUARANTEED TO THE APPRENTICES ON COMPLETION OF THEIR TRAINING.**
- (ii) The selected candidates should abide by the rules and regulations framed by the Administration from time to time.
- (iii) If any declaration furnished by the candidate is found to be false, he/she will be disqualified/terminated at any stage of the training period.


ASST. PERSONNEL OFFICER/G